यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866
ISO 9001 : 2008 Certified

संख्या: 1375 /यूजेवीएनएल/05/कार्मिक/राजभाषा/विविध–23 दिनांक: 26 ,फरवरी, 2016

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में शासकीय कार्य पूर्णतः हिन्दी में किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त अधिशासी निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड,देहरादून।
समस्त महाप्रबन्धक/समस्त उपमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 59/I (2) 2016–09/05/2012, ऊर्जा अनुभाग–2, दिनॉक 09–02–2016 की छाया प्रतिलिपि संलग्नक सहित आपको सूचनार्थ एवं तदनुसार शासनादेशों के अनुपालन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोपरि।

Dy.No. 138 /DGM(L.C.)UN
File Mark N-2
Dated 1.3.16

(आशिष कुमार जैन)
उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त संदर्भित संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक,यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2– निदेशक (परिचालन)/(परियोजनायें)/(वित्त)/(मा0सं0),यूजेवीएन, लिमिटेड, देहरादून।
3– कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4– समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी यूजेवीएन लिमिटेड।
5– वरिष्ठ प्रबन्धक(आई0टी0),यूजेवीएन लिमिटेड,देहरादून को निगम की **वैबसाईट पर अपलोड** किये जाने हेतु।
6– समस्त अधिशासी अभियन्ता/प्रबन्धक (प्रशासन एवं सुरक्षा)/वरिष्ठ विधि अधिकारी,यूजेवीएन लि0।
7– मानव संसाधन विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

संलग्नकः यथोपरि।

Circulate

SM(IT) for needful

1.3.16

AE(IT)
Pl. upload on website
1/3/16

डायरी संख्या 1280
फाइल संख्या
दिनांक 24-2-16
कार्यवाही की तिथि

संख्या: 159 /I(2)/2016-09/05/2012

Office of the Director (HR)
Received on 17/2/16

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
यूपीसीएल
देहरादून।

2. प्रबन्ध निदेशक,
पिटकुल
देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लि0,
देहरादून।

Dairy No 247 MD/UJVNL, 21/77-6
Dated 16/2/16

ऊर्जा अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक: 09 फरवरी, 2016

विषय– उत्तराखण्ड राज्य में शासकीय कार्य पूर्णतः हिन्दी में किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1035/XXXIX-15-102 (सा0)/2010 टी0सी0 दिनांक 07.01.2016 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य में समस्त शासकीय कार्य पूर्णतः हिन्दी में किये जाने सम्बन्धी संगत शासनादेशों को संलग्न करते हुए उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 में उल्लिखित प्राविधानों तथा तद्विषयक समस्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में कतिपय सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/बोर्डों के शासकीय कार्य तथा समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण अंग्रेजी भाषा में किये जाने के कारण विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा आपत्ति व्यक्त की जा रही है।

Office of the Director (HR)
Diary No 247 /D(HR)/UJVNL
Dated 17/2/16

2. इस सम्बन्ध में प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऊर्जा निगमों के स्तर से भी शासन को प्रेषित किये जाने वाले पत्र अंग्रेजी भाषा में प्राप्त हो रहे हैं, जिससे शासकीय कार्यों के निष्पादन में विशेषकर अंग्रेजी भाषा के अभियांत्रिकी शब्दों को तकनीकी रूप से हिन्दी भाषा में रूपान्तरण करने में असुविधा उत्पन्न होती है।

अतः उक्त के परिपेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 में उल्लिखित प्राविधानों तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों (प्रतिसंलग्न) में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के आलोक में अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय कार्य/पत्राचार पूर्णतः राजभाषा हिन्दी में करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न: –यथोपरि

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

D(O)/D(P)/D(HR)/D(F)
ED(O&M)/ED(Civil)
GM(MDO)/GM(O&M&C)
GM(HR)
DGM(P)
ED(HR)
EE/AM/S.O.
18/2/16

Desktop\ro\letter 2016

159/LC20/2016

संख्याः 1035/XXXIX/15–102(सा0)/2010 टी0सी0

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3–मण्डलायुक्त गढवाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल।
4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5–समस्त निगमों/परिषदों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

भाषा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 07 जनवरी, 2016

विषय– उत्तराखण्ड राज्य में शासकीय कार्य पूर्णतः हिन्दी में किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 01/XXXIX/2008, दिनांक 12.12.2008, पत्र संख्या 28/XXXIX/2011, दिनांक 07.01.2011, पत्र संख्या 89/XXXIX/2011, दिनांक 18.02.2011, पत्र संख्या 337/XXXIX/2012, दिनांक 31.07.2012, कार्यालय ज्ञाप संख्या 642/XXXIX/2013, दिनांक 23.08.2013 के साथ–साथ उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम 2009 की ओर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में कतिपय सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/बोर्डों के शासकीय कार्य एवं जन साधारण की सूचनाएं समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण अंग्रेजी भाषा में किया जा रहा है. जिसके कारण विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा आपत्ति व्यक्त की जा रही है।

2– उक्त के अतिरिक्त कतिपय विभागों द्वारा भारत सरकार से किये जाने वाले पत्राचार भी अंग्रेजी भाषा में ही किये जा रहे हैं। अतः राज्य में समस्त शासकीय कार्य हिन्दी में किये जाने संबंधी उक्त शासनादेशों को संलग्न करते हुये आपसे पुनः अनुरोध है कि उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 में उल्लिखित प्राविधानों तथा उक्त समस्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों/परिषदों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव

संख्याः (1)/XXXIX/15–102(सा0)/2010 टी0सी0 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या D.O.No. 01/16/2015–Public, दिनांक 30.04.15 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव

SINGH/O.O